413

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

विलोपित

न्यायालय श्रीमान् समक्ष सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर म0प्र0

निग.प्रक.क.– 7/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/0624 सन्–

जमनाप्रसाद पटैल तनय परमलाल पटैल उम्र 52
निवासी ग्राम भैरोगंज (लुगासी) तहसील नौगॉव
जिला छतरपुर म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

शासन म0प्र0..गैरनिगरानीकर्ता

श्री .... द्वारा आज दि0 23-1-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 7-2-18 नियत। 23-1-18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 के तहत निगरानी विरूद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय अधीक्षक भू–अभिलेख अधिकारी छतरपुर जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित प्रक. क. 11/अ–6–अ/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2017 से दुःखी होकर।

महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता सादर श्रीमान् के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करता हैः–

1. **निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है**– कि आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम भैरोगंज सर्किल लुगासी तहसील नौगॉव जिला छतरपुर के भूमि खसरा नंबर 4458/1 रकवां 0.081 है0 पर आवेदक के नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्द पर दर्ज है,परन्तु उक्त खसरा नंबर पर कब्जा नही है,उसी ग्राम का भूमि खसरा नंबर में वर्तमान में 5937 के रकवा 3.00 है0 पर म.प्र. शासन दर्ज है उक्त भूमि पर कब्जा कई वर्षो से चला आ रहा है बंदोवस्त के पश्चात् साविक नंबर से हाल नंबर का निर्माण करते वक्त स्थल स्थिति एवं मौका कब्जा का ध्यान न रखते हुये अभिलेख का निर्माण किये जाने से बंदोवस्त करते समय त्रुटि उत्पन्न हुई है जिसका सुधार किये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। बंदोवस्त अधिकारी छतरपुर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन मॉगा गया, मेढियो कास्तकारों से उक्त खसरा नंबर के संबंध में कथन किये गये। राजस्व निरीक्षक द्वारा परिवर्तन तालिका प्रदर्श पी–1 प्रस्तुत की गई । अवलोकन पश्चात् म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 89 तथा सहपठित धारा 115.116 के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/624 जमनाप्रसाद विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा अधीक्षक भू-अभिलेख जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 11/अ-6-अ/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 24-10-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 23-01-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अधीक्षक भू-अभिलेख के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 25/01/19
सदस्य